झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–63 / 2020

1. विश्व नाथ कुमार
2. अजीत कुमार .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्तागण के लिएः श्री बी0के0 दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री सूरज मोहन, ए0पी0पी0।

2 / 15.01.2020 श्री बी0के0 दुबे, याचिकाकर्त्तागण के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री सूरज मोहन, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्तागण, शिकायत आबकारी प्रकरण सं0–2883 / 2019 के सम्बन्ध में अभियुक्त हैं।

एक स्कॉर्पियो वाहन से 800 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई और याचिकाकर्त्ताओं को भी उक्त वाहन से पकड़ा गया।

याचिकाकर्त्तागण 20.11.2019 से हिरासत में हैं।

अपराध की प्रकृति और हिरासत की अवधि के संबंध में, याचिकाकर्त्ताओं, जिनका नाम ऊपर है, को 10,000/- (केवल दस हजार रूप्ये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग की संतुष्टि पर शिकायत आबकारी मामला संख्या-2883/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)